आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ।
1	2	3

न्यायालय समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

20.12.2019

ईसी0 एक्ट वाद संख्या - 307/2018

राज्य

बनाम

.......................-आवेदक

1. **मो0 मजरूल, पिता-मैनुद्दीन, सा0-गोहास, थाना-बायसी, जिला-पूर्णिया।**
2. **शमीम, पिता-मजहरूल, सा0-गोहास, थाना-बायसी, जिला-पूर्णिया।**
3. **अज्ञात जुगाड़ गाड़ी एवं उसके फरार चालक।**

...........................-विपक्षीगण

आदेश

प्रस्तुत वाद **बायसी थाना कांड सं0-240/2018 दिनांक 16.09. 2018** में धारा-7 आवश्यक वस्तु अधिनियम अंतर्गत जप्त **7.15 क्विंटल अरवा चावल** को राजसात करने से संबंधित है। राजसात का प्रस्ताव पत्रांक 3242 दिनांक 13.10.18 के द्वारा **अनुमण्डल पदाधिकारी, बायसी** से प्राप्त है।

इस वाद अंतर्गत बायसी थाना के चौकीदार द्वारा ईदगाह चौक गांगर में एक जुगाड़ गाड़ी को रोका गया। चौकीदार को देखते ही जुगाड़ गाड़ी के चालक गाड़ी पर लोड चावल को छोड़कर भाग गए। तत्पश्चात् दूसरे वाहन से चावल को थाना लाया गया। इस संबंध में पंचायत समिति सदस्य क्षेत्र सं0-16 बायसी के बयान के आलोक में जप्त चावल विपक्षी सं0-01 एवं 02 का बताया गया है। जप्त चावल मो0 मतिउर रहमान, जनवितरण प्रणाली विक्रेता, ग्रामपंचायत-चन्द्रगामा, प्रखण्ड-बायसी के जिम्मानामा पर रखा गया है। संबंधित अधिकारी द्वारा जप्त चावल को सरकारी अनुदानित बताया गया है।

इस वाद में विपक्षी सं0-01 एवं 02 से प्राप्त कारणपृच्छा का अवलोकन किया। उनके द्वारा जप्त चावल पर किसी प्रकार का दावा नहीं किया गया है तथा यह भी उल्लेख किया गया है कि बायसी पुलिस द्वारा उन्हें अनावश्यक रूप से फंसाया गया है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक, ई0सी0एक्ट, पूर्णिया द्वारा सरकार का पक्ष रखते हुए अवगत कराया गया कि विपक्षी सं0-01 एवं 02 द्वारा जप्त चावल पर किसी प्रकार का दावा नहीं किया गया है। अतएव जप्त चावल को राजसात किया जा सकता है।

अनुमण्डल पदाधिकारी, बायसी से प्राप्त राजसात का प्रस्ताव, विपक्षी सं0-01 एवं 02 से प्राप्त कारणपृच्छा तथा विद्वान विशेष लोक अभियोज, 7-ई0सी0 एक्ट के अभिकथन से स्पष्ट होता है कि अज्ञात विपक्षीगण द्वारा अनुदानित सरकारी चावल के कालाबाजारी व विचलन हेतु अवैधानिक कार्य किया गया है। विपक्षी सं0-01 एवं 02 द्वारा जप्त चावल पर किसी प्रकार का दावा नहीं किया गया है। तद्नुसार जप्त चावल ई0सी0 एक्ट की धारा-6 के अंतर्गत अधिग्रहणीय है।

अतः इस काण्ड में **जप्त 7.15 क्विंटल अरवा चावल** को राजसात करने का आदेश दिया जाता है। अनुमण्डल पदाधिकारी, बायसी को निदेश दिया जाता है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं तत्संबंधी संगत प्रावधानों के आलोक में अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित करें।

इसी के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

समाहर्त्ता,
पूर्णिया।

समाहर्त्ता,
पूर्णिया।